**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1573/2025

In

S.B. Criminal Appeal No. 2144/2025

1. Vikramsingh S/o Narayansingh, Aged About 28 Years, R/o Devaliya, Police Station Nasirabad Sadar, District Ajmer, Rajasthan. (Presently Confined In Central Jail Ajmer)
2. Abdul Aziz, S/o Alamnoor, Aged About 47 Years, R/o Bada Mohalla, Near Masjid, Sarwar, Police Station Sarwar, District Ajmer, Rajasthan. (Presently Confined In Central Jail Ajmer)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | श्री प्रदीप शर्मा<br>श्री चैन सिंह राठौड़ |
| For Respondent(s) | : | श्री सुदेश कुमार सैनी, लोक अभियोजक मय<br>श्री नवदीप सिंह |

**HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI**

**Order**

**28-04-2026**

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, संख्या–1 केकड़ी, जिला अजमेर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**44/2016 सरकार बनाम विक्रम सिंह वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **31.07.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को

आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम **सात वर्ष के कठोर** कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण विचारण के दौरान क्रमशः दिनांक 29.08.2016 से 05.11.2016 व 19.11.2016 तक अभिरक्षा में रहे हैं तत्पश्चात् वे जमानत पर रहे हैं । वर्तमान में वे निर्णय की दिनांक 31.07.2025 से लगातार अभिरक्षा में है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरण में आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है , बरामदशुदा पदार्थ गांजे की पत्तियां व डंठल रहे हैं । सेम्पल 250 ग्राम का लिया जाना बताया गया है जबकि एफ.एस.एल. मे जांच हेतुं सेम्पल 215 ग्राम पहुंचा है । कड़ीबद्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । उनका यह भी निवेदन रहा है कि गांजे की पत्तियां व डंठल एन.डी.पी.एस. एक्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं । अपीलार्थीगण की अभिरक्षा अवधि लगभग एक वर्ष हो चुकी है । उनका यह भी निवेदन है कि साक्षीगण के कथनों में तात्विक विरोधाभास है, अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने योग्य है। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका निवेदन है कि अपीलार्थीगण के कब्जे से 10 किलोग्राम गांजे की पत्तियां व डंठल बरामद हुए हैं। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। साक्षीगण की साक्ष्य, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी

किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **27.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. विक्रम सिंह पुत्र नारायण सिंह व 2. अब्दुल अजीज पुत्र आलमनूर** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/36